

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश न्यायालय

प्रकरण क्रमांक - _____

/2016

१२१ - - १०६६ - - I - १६

65

विष्णु सिंघल पुत्र श्री शंभूदयाल
सिंघल, निवासी - मोहल्ला पापूजी
श्योपुर म.प्र.

..... आवेदक

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर श्योपुर
जिला श्योपुर म.प्र.
2. अहसान पुत्र इमामददीन मुसलमान
निवासी - जेल के पीछे, बगवाज,
श्योपुर म.प्र.
3. केदार पुत्र गुलाबचन्द्र हरदेनिया,
निवासी- मेन मार्केट हरदेनिया एजेंसी
श्योपुर म.प्र.
4. अशोक कुमार पुत्र निधिचन्द्र राठौर,
क्लर्क कोषालय श्योपुर म.प्र.
5. जगदीश पुत्र रामप्रसाद राठौर,
निवासी- नगर पालिका के पास,
श्योपुर म.प्र.

..... अनावेदकगण

आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण क्र. 1515-III/09-10 निगरानी विष्णु
सिंघल विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य जो माननीय न्यायालय द्वारा
दिनांक 02.03.16 को अदम पैरवी में निरस्त की गई है को पुनः
सुनवाई में लिये जाने बावत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है -

1. यह कि, आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त
निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा पारित


श्री. आशीष सिंह मदीनिया को
द्वारा आज दि. 30-4-16 को
प्रस्तुत

30-4-16
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश न्यायालय

30-4-16

R. 90664/16

श्रीधर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
02.5.16	<p>आदेश अधि. श्री श्रीधर सिंह अदालत उपस्थित उनके तर्क प्रकार किसे जमाने प्रकरण में प्रमाण कारण होने से मुक्त प्रकरण R. 1515/09 मुनवाई हेतु पुनर्स्थापित किता जाग है सुप्रीम कोर्ट आदेश समाप्त किता जमाने जाग है </p>	<p> R. 1515</p>

R. 1515